न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी– श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
07/2023	13.02.2023	18-6-2025

खिलाडी सैनी उर्फ लाल पुत्र स्व0 बाबूलाल जाति माली निवासी खानपुर बडौदा पैमापुरा की ढाणी तह0 गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 226 ख0न0 701 रकबा 0.18 है0, ख0न0 861 रकबा 0.29 है0 ग्राम खानपुर बडौदा मे स्थित है। जिसमे प्रार्थी का 1/6 हिस्सा दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या 321 ख0न0 1336/674 रकबा 0.2850 है0 ग्राम खानपुर बडौदा मे स्थित है। जिसमे प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है। प्रार्थी का नाम सरकारी व अर्द्धसरकारी दस्तावेजों मे खिलाडी सैनी है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबंदी मे लाला पुत्र बाबू भूल से गलत अंकित कर दिया है जबकि प्रार्थी का घरेलू नाम लाला है। इस गलती के कारण प्रार्थी कृषको को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नही ले पा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित भूमि मे प्रार्थी का नाम लाला के स्थान पर खिलाडी सैनी संशोधित किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 226, 321 ग्राम खानपुर बडौदा, फोटोकोपी आधार कार्ड, फोटोकॉपी ई श्रम कार्ड, फोटोकॉपी पेन कार्ड प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया।

अप्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी खिलाडी पुत्र बाबूलाल माली के जमाबंदी खाता संख्या 226 व खाता संख्या 321 विरासत का नामान्तरण खोलने के दौरान सहवन से खिलाडी के स्थान पर उपनाम लाला के नाम से खोल दिया गया है जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजों मे नाम खिलाडी पुत्र बाबूलाल माली है। अतः लाला पुत्र बाबूलाल माली के स्थान पर खिलाडी पुत्र बाबूलाल माली शुद्ध किया जाना उचित है। इस रिपोर्ट के साथ तहसीलदार ने पटवारी हल्का की मूल रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.10 11:38:11 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 226, 321 ग्राम खानपुर बडौदा मे प्रार्थी का नाम लाल पुत्र बाबू दर्ज है। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट के अनुसार विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम लाला दर्ज हो गया है जो प्रार्थी का घरेलू नाम है। तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी का सही नाम खिलाडी पुत्र बाबूलाल होना बताया है। प्रार्थी इस रिपोर्ट के अनुसार खाता संख्या 321, 226 मे अपना नाम लाला पुत्र बाबू के स्थान पर खिलाडी सैनी पुत्र बाबूलाल दर्ज कराने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाता है। ग्राम खानपुर बडौदा की जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या 226, 321 मे दर्ज नाम लाला पुत्र बाबू के स्थान पर खिलाडी सैनी पुत्र बाबूलाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। इन खातों मे दर्ज शेष प्रविष्ठियॉ यथावत रहेगीं। पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (स.मा.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.07.10 11:58:11 IST
Reason: SelfAttested